कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

क्रमांक 28 /समुकाअ/चिप्स/2021 रायपुर, दिनांक 06/01/2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदय,
सूरजपुर वनमण्डल,
जिला – सूरजपुर (छत्तीसगढ़).

विषय :भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल कियान्वयन हेतु सूरजपुर जिला के सूरजपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत प्रेमनगरए, भैयाथान, एवं ओड़गी ब्लॉक के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर वनभूमि 8.712 हे. वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि 0.426 हे. कुल रकबा 9.138 हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने बिछाने हेतु वन भुमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने बाबत्।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43607/2019

संदर्भ :- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–847/268 रायपुर दिनांक 06.06.2020।

–00–

विषयान्तर्गत कृपया अवगत हों कि भारत सरकार (BBNL) द्वारा "National Optical Fibre Network Project" अन्तर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के तहत् कार्यालय छत्तीसगढ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS), रायपुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं

Scanned with CamScanner

कार्यान्वयन करने हेतु मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को "कार्यान्वयन सहभागी" नियुक्त करते (पत्र संलग्न) हुए छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5,987 ग्राम पंचायतो को शामिल करते हुए कुल 32,000 कि.मी. मार्ग में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कार्य सम्पादन की निःशुल्क मौजूदा राईट–ऑफ–वे की अनुमति प्रदान की गई है ।

सूरजपुर जिला के सूरजपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत प्रेमनगरए, भैयाथान, एवं ओड़गी ब्लॉक के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर वनभूमि 8.712 हे. वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि 0.426 हे. कुल रकबा 9.138 हे. पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस./लीडार सर्वे सर्वे रिपोर्ट 05 प्रतियों के साथ प्रस्तुत है ।

उक्त प्रस्तावित मार्गान्तर्गत प्रभावित होने वाले किसी भी वृक्ष एवं वनसम्पदा को कार्य के दौरान क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं केबल बिछाने का कार्य मार्ग के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ही किया जावेगा ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner